

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन,

मध्यप्रदेश, भोपाल-462004

क्रमांक/सम/उत्पा/रजि./तेप/बीड़ी/122/ 88

भोपाल, दिनांक 7/1/2010

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
(उत्पादन) मध्यप्रदेश .

विषय :- तेन्दूपत्ता व्यापारियों के पंजीयन के संबंध में ।

—00—

विषयांतर्गत आपको ज्ञात होगा कि म0 प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-26.02.2002 10-3 दिनांक 06 जनवरी 2009 के द्वारा म0 प्र0 तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) 1966 के नियम क्रमांक 8(2) में संशोधन करते हुए "बीड़ियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक" के स्थान पर शब्द ~~निर्माता~~ और व्यापारी" स्थापित किये गये है । इसके पश्चात् भी क्षेत्रीय वन मण्डलों के द्वारा नई शब्दावली का उपयोग नहीं करते हुये पूर्व की भौति बीड़ियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक के रूप में ही प्रारूप "ज" में ही रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है, जो कि वैधानिक रूप से सही नहीं है ।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय अधिकारियों को संशोधन के अनुसार ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश देवें एवं जारी किये गये त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों को निरस्त करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र जारी किये जावे । भविष्य में उक्त त्रुटि की पुनरावृत्ति न होवे सुनिश्चित करें ।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

भोपाल, दिनांक 7/1/2010

क्रमांक/सम/उत्पा/रजि./तेप/बीड़ी/122/ 89

प्रतिलिपि :- 1/ प्रबंध संचालक, म0 प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ मर्या0 भोपाल की ओर उनके पत्र क्र0/ वनो /उत्पा/110/13619 दिनांक 24.12.09 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

2/ समस्त वन मण्डलाधिकारी उत्पादन/क्षेत्रीय म0 प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तेन्दूपत्ता व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण जारी करते समय नियमानुसार म0 प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-26.02.2002 10-3 दिनांक 06 जनवरी

..2

3- प्रत्येक गोदाम के लिए वनपाल से अनिम्न स्तर के कर्मचारी को गोदाम प्रभारी बनाया जाय एवं एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक और राज्य के बाहर परिवहन हेतु टी.पी. 2 एवं टी.पी.4 सहायक जारी करने के लिए गोदाम प्रभारी को प्राधिकृत किया जाय ।


4- राज्य के बाहर परिवहन हेतु वन मण्डलाधिकारी सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही अनुज्ञा पत्र 2 (मुख्य) जारी करेंगे एवं सीधे फ़ड़ से परिवहन की स्थिति में पोषक अधिकारी को तथा गोदाम से परिवहन की अवस्था में गोदाम प्रभारी को परिवहन अनुज्ञा पत्र 4 (सहायक) जारी करने लिए प्राधिकृत कर दिया जाय ।

5- यदि किसी एक वन मण्डल में संग्रहित तेन्दूपत्ते का भण्डारण किसी दूसरे वन मण्डलाधिकारी के क्षेत्र में किया जाता है तो गोदाम का प्रभार संग्रहण क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियुक्त वनपाल से अनिम्न स्तर के वन मण्डलाधिकारी के पास ही रखा जायेगा । गोदाम में भण्डारित पूर्ण मात्रा के लिए टी.पी. जारी करने हेतु संग्रहण करने वाले वन मण्डलाधिकारियों के अनुरोध पर भण्डारण क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी राज्य के बाहर परिवहन हेतु टी.पी.-4 (मुख्य) जारी करते हुये टी.पी.-4 (सहायक) जारी करें एवं राज्य के भीतर परिवहन हेतु टी.पी.-2 जारी करने के लिए गोदाम प्रभारी को अधिकृत करें , जो संग्रहण क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी के निर्देशानुसार तेन्दूपत्ते को मुक्त किये जाने पर आवश्यक टी.पी.-2 या टी.पी.-4 (सहायक) जारी करेंगे । इससे अन्यत्र परिवहन हेतु संबंधित टीपी जारी करने के लिये संग्रहण करने वाले वन मण्डलाधिकारी के द्वारा अधिकृत किये जाने पर गोदाम प्रभारी द्वारा टी पी ही जारी किये जावेंगे ।

6- क्रेताओं की मांग है कि राज्य के बाहर परिवहन किये जाने वाले तेन्दूपत्ते की परिवहन अवधि पूर्ण संग्रहण सीजन के लिये दी जाये । अतः जारी टी.पी.-4 (मुख्य) की अवधि निर्धारित करते समय विचार कर लिया जावे ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि वैद्य वनोपज का परिवहन सुगमता से

हो सके ।



(रमेश के देव)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

म० प्र० भोपाल

क्रमांक/एफ/05/सम/उत्पा/तेप टीपी/12/011/ 3978

भोपाल, दिनांक 27/09/2010


प्रतिलिपि :- 

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, म० प्र० शासन, वन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

2- प्रबंध संचालक, म० प्र० राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)संघ मर्या० भोपाल ।

3- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म० प्र० भोपाल ।


की ओर सूवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक

म० प्र० भोपाल

..2..

2009 के द्वारा म0 प्र0 तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) 1966 के नियम क्रमांक 8(2) में संशोधन अनुसार " बीड़ियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक" के स्थान पर शब्द "विनिर्माता और व्यापारी" स्थापित किया जावे एवं आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण जारी किये गये प्रमाण पत्र निरस्त करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र जारी किये जावें ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल